UPRN010038742026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/ त्वरित न्यायालय (महिलाओं के विरुद्ध अपराध) , कानपुर देहात

उपस्थितः- **हिमांशु कुमार सिंह** . . . . . उच्चतर न्यायिक सेवा (H. J. S.)

J. O. CODE NO. - UP 1817

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या- 1509/ 2026

अजय पुत्र जगत सिंह उम्र लगभग 25 वर्ष, निवासी ग्राम तेजपुर, थाना घाटमपुर, जनपद कानपुर नगर . . . . . **आवेदक/ अभियुक्त**

प्रति

उत्तर प्रदेश राज्य . . . . . **विपक्ष/ अभियोजन पक्ष**

अ०सं०- 419/ 2024

धारा- 115, 352, 76, 351(2) , 117(2) , 109(1) बी०एन०एस०

थाना- घाटमपुर, **जिला**- कानपुर नगर

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र का निस्तारण

आवेदक/ अभियुक्त **अजय पुत्र जगत सिंह** की ओर से अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या- 1509/ 2026, अ०सं०- 419/ 2024, धारा- 115, 352, 76, 351(2) , 117(2) , 109(1) बी०एन०एस०, थाना घाटमपुर, कानपुर नगर के मामले में प्रस्तुत किया गया है।

आवेदक/ अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत उक्त अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र के आधार तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि इस मुकदमे के शेष अभियुक्तगण तेजबहादुर, सतीश तथा जगत सिंह की जमानत स्वीकार हो चुकी हैं जिनकी चार्जशीट प्रेषित हो चुकी है। अभियुक्त मा० उच्च न्यायालय से स्टे ले आया था तथा स्टे वैकेण्ट हो गया। इस मुकदमे में एकराय होकर झगड़ा करने की कोई बात नहीं आयी है तथा अभियुक्त को किसी भी औजार से मारते- पीटते नहीं दिखाया गया है। अभियुक्त के विरूद्ध बयानों में कहीं भी कोई औजार से मारने का विवरण नहीं आया है तथा मूल फाइल में वादिनी के बयानों में भी अभियुक्त के विरूद्ध इस तरह की गवाही नहीं आयी है कि अभियुक्त ने मारा- पीटा है। अभियुक्त का अन्य अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र श्रीमान् जी के न्यायालय में व मा० उच्च

Digitally signed by HIMANSHU KUMAR SINGH
Date: 2026.07.18 16:46:37 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

न्यायालय में विचाराधीन नहीं है। अतः अभियुक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकृत कर अग्रिम जमानत प्रदान किये जाने का निवेदन किया गया है।

उपरोक्त अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र से सम्बन्धित प्रथम सूचना रिपोर्ट के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि विदित हो कि दिनांक 08. 08. 2024 को समय करीब 6:30 बजे सुबह वादिनी मुकदमा अपने खेतों की तरफ टहलने जा रही थी तभी रास्ते में पहले से घात लगाये बैठे तेजबहादुर व जगत सिंह पुत्रगण स्व० प्रीतम व सतीश पुत्र तेजबहादुर व अजय पुत्र जगत सिंह निवासीगण ग्राम तेजपुर, थाना घाटमपुर, जनपद कानपुर नगर एकराय होकर बदनियती से वादिनी मुकदमा को दबोचकर घसीटते हुए वादिनी मुकदमा को गाली- गलौज करते हुए वादिनी मुकदमा को बुरी तरह से लात- घूसों से मारा- पीटा व उक्त लोगों ने वादिनी मुकदमा के कपड़े फाड़ दिये, वादिनी मुकदमा के शोर मचाने पर वादिनी मुकदमा के पिता रामकृपाल पुत्र नन्दलाल व माता रामश्री पत्नी श्री रामकृपाल व वादिनी मुकदमा के बड़े पापा सियाराम पुत्र नन्दलाल बचाने के लिए आये तो उक्त लोग वादिनी मुकदमा के साथ वादिनी मुकदमा के पिता व माता व बड़े पापा को भी बुरी तरह से लात- घूसों व लाठी- डण्डों से मारा- पीटा तथा तेजबहादुर ने वादिनी मुकदमा के पिता को जान से मारने की नीयत से वादिनी मुकदमा के पिता के सिर में कुल्हाड़ी से वार कर दिया जिससे वादिनी मुकदमा के पिता के सिर में गम्भीर चोट व सतीश ने वादिनी मुकदमा के बड़े पापा के दांये पैर में बरछी मार दी उक्त लोगों की पिटाई से वादिनी मुकदमा व वादिनी मुकदमा की माता के शरीर में अन्दरूनी व बाहरी चोटें आयी हैं तथा उक्त लोगों ने गालियां देते हुए धमकी दी कि अगर कोई कानूनी कार्यवाही की तो तुझे व तेरे परिवार को जान से मार देगें, उक्त लोग दबंग, गुण्डा किस्म के व्यक्ति हैं। उक्त लोगों की धमकी से वादिनी मुकदमा व वादिनी मुकदमा का परिवार बहुत ही भयभीत व परेशान है।

अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा जमानत का प्रबल विरोध करते हुए यह कथन किया गया है कि आवेदक/ अभियुक्त द्वारा कथित उपरोक्त गंभीर अपराध कारित किया गया है। अभियुक्त अग्रिम जमानत पर रिहा होने पर अभियोजन साक्ष्य को प्रभावित कर सकता है। उक्त जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाये।

इस न्यायालय ने उक्त आवेदक/ अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) को सुना एवं जमानत पत्रावली का अवलोकन किया।

जमानत प्रार्थना पत्र पत्रावली, थाना आख्या व केस डायरी आदि प्रपत्रों के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्त **अजय** पर धारा- 115, 352, 76, 351(2), 117(2), 109(1) बी०एन०एस० का आरोप लगाया गया है।

अभियुक्त की तरफ से मौखिक रूप से यह तर्क दिया गया है कि अभियुक्त को उपरोक्त मुकदमा में रंजिशन झूठा फंसा दिया गया है। अभियुक्त जमानत मिलने के पश्चात् जमानत का दुरुपयोग नहीं करेंगे न ही साक्षीगण को प्रभावित करेंगे।

प्रश्नगत मामले में थाना घाटमपुर की पुलिस द्वारा आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है व अभियुक्त के विरूद्ध गंभीर धाराओं में प्रेषित आरोप पत्र में धारा- 76 बी०एन०एस० विवस्त्र करने के आशय से महिला पर हमला व आपराधिक बल का प्रयोग करने संबंधी तथ्य प्रथमदृष्टया स्पष्ट रूप में चुटहिल पीड़िता के पिता रामकृपाल इत्यादि जिनके विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा- 109(1) बी०एन०एस० के तहत भी प्रेषित किया गया है व मामले के समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए किसी भी प्रकार के गुणदोष पर जाये बगैर जबकि इस स्तर पर महिला के विरूद्ध जघन्य अपराध कारित करते हुए उसके पिता पर जानलेबा हमला किये जाने का तथ्य विद्यमान है, तब अभियुक्त को अग्रिम जमानत प्रदान किये जाने हेतु कोई पर्याप्त आधार नहीं पाया जाता है। अतः अभियुक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/ अभियुक्त **अजय पुत्र जगत सिंह** की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या- 1509/ 2026, अ०सं०- 419/ 2024, धारा- 115, 352, 76, 351(2), 117(2), 109(1) बी०एन०एस०, थाना घाटमपुर, कानपुर नगर तद्नुसार खारिज किया जाता है।

दिनांकः 18. 07. 2026

(हिमांशु कुमार सिंह)

अपर सत्र न्यायाधीश / त्वरित न्यायालय

(महिलाओं के विरूद्ध अपराध), कानपुर देहात।

J. O. CODE NO. - UP 1817